



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1983]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 17, 2015/भाद्र 26, 1937

No. 1983]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 17, 2015/BHADRA 26, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2015

का.आ. 2529(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कालम (3) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कालम (2) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 34 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

सारणी

(1)	(2)	(3)
"34	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 9 [नया रारा सं. 65 किमी 40.00 से आ. प्र. सीमा और किमी 423.800 से किमी 493.000 (कर्नाटक सीमा- सांगारेड्डी) तक खंड को छोड़कर], सं. 16, (नया रारा सं. 63 निजामाबाद से महाराष्ट्र सीमा), सं. 202 [नया रारा सं. 163 किमी 18.600 से किमी 54.000 (हैदराबाद से यादगिरी) तक खंड को छोड़कर], सं. 221 [नया रारा सं. 30 आ. प्र. सीमा से आ. प्र. सीमा], सं. 222 [नया रारा सं. 61 महाराष्ट्र सीमा से निर्मल (नया रारा	तेलंगाना राज्य सरकार

<p>सं. 44)], नया रारा सं. 161 (सांगारेड्डी से महाराष्ट्र सीमा), नया रारा सं. 167 [कर्नाटक सीमा से जेडचेरला (नया रारा सं. - 44)], नया रारा सं. 363 [सिरोँचा (महाराष्ट्र सीमा) से आत्माकुर (नया रारा सं. 163)], नया रारा सं. 565 [आ. प्र. सीमा - नलगोंडा- नकरेक्कल (नया रारा सं. 65)], नया रारा सं. 765 (हैदराबाद से आ. प्र. सीमा), नया रारा सं. 365 [मल्लमपल्ली (नया रारा सं. 163) से नकरेक्कल तक (नया रारा सं. 65)], नया रारा सं. 150 (कर्नाटक सीमा के दोनो दिशाओं में से किसी भी दिशा में), नया रारा सं. 50 [निजामपेट (नया रारा सं. 161) से कर्नाटक सीमा तक], नया रारा सं. 365ए [कोदाद (नया रारा सं. 65) - खम्मम - कर्वी/महबूबाबाद (नया रारा सं. 365)], और नया रारा सं. 563 [जगतियाल (नया रारा सं. 63) - करीमनगर - वारंगल (नया रारा सं. 163)] के उतने भाग जो तेलंगाना राज्य में अवस्थित हैं।</p>

[फा. सं. एनएच-14013/9/2014-पीएंडएम]

वी. कृष्णास्वामी, निदेशक

टिप्पण : मूल अधिसूचना को का.आ. 1096 (अ), तारीख 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे अंतिम बार का.आ. 2066(अ), तारीख 17 अप्रैल, 2015 द्वारा संशोधित किया गया था।

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th September, 2015

S.O. 2529(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:—

In the said notification, in the Schedule, for serial number 34 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

TABLE

(1)	(2)	(3)
“34	So much of National Highways No. 9 [New NH No. 65 excluding from Km. 40.000 to AP Border and from Km. 423.800 to Km. 493.000 (Karnataka Border – Sangareddy)], No. 16 (New NH No. 63 from Nizamabad to Maharashtra Border), No. 202 [New NH No. 163 excluding from Km. 18.600 to Km. 54.000 (Hyderabad to Yadgiri)], No. 221 (New NH No. 30 from AP Border to AP Border) , No. 222 [New NH No. 61 from Maharashtra Border to Nirmal (New NH-44)], New NH No. 161 (from Sangareddy to Maharashtra Border), New NH No. 167 [from Karnataka Border to Jadcherla (New NH-44)] , New NH No. 363 [from Sironcha (Maharashtra border) to Atmakur (New NH-163)], New NH No. 565 [from AP Border-Nalgonda- Nakrekal (New NH-65)], New NH No. 765 (from Hyderabad to AP Border), New NH No. 365 [from Mallampalli (New NH-163) to Nakrekal (New NH-65)], New NH No. 150 (within Karnataka Border on either side), New NH No. 50 [from Nizampet (New NH-161) to Karnataka Border], New NH No. 365A [from Kodad (New NH-65) –Khammam-Karvi/Mahbubabad (New NH-365)] and New NH No. 563 [from Jagtial (New NH-63)–Karimnagar-Warrangal (New NH-163)] as are situated within the State of Telangana.	State Government of Telangana.”

[F. No. NH-14013/9/2014-P&M]

V. KRISHNASWAMY, Director

Note: The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S.O. 1037(E), dated the 17th April, 2015.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2015

का.आ. 2530(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निर्देश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कालम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कालम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

“1.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4, (नया रारा सं. 69 चित्तूर से कर्नाटक सीमा और नई रारा सं. 40 चित्तूर से तमिलनाडु सीमा), सं. 5, {किमी 0.000 से किमी 3.400 (विजयवाड़ा – विशाखापट्टनम खंड)} सं. 9 {किमी 265.000 से किमी 266.400 (नई रारा सं. 65 किमी 270.340 से किमी 271.740) (एच-वी खंड)}, सं. 18 (नया रारा सं. 40 कडप्पा से चित्तूर), सं. 18ए, (नया रारा सं. 140 पुथलापट्टू से तिरुपति किमी 41.70 से किमी 58.85 तक खंड को छोड़कर), सं. 43, (नया रारा सं. 26 ओडिशा सीमा से नटवालसा), सं. 63 (नया रारा सं. 67 कर्नाटक सीमा से गूटी), नया रारा सं. 67 (गूटी- नेल्लोर – कृष्णापट्टनम पत्तन), नई सं. 42, (कर्नाटक/आ. प्र. सीमा से अनंतपुरम), सं. 205 (नया रारा सं. 42 अनंतपुर – मदनापल्ली और नया रारा सं. 71 मदनापल्ली से रेनूगुंटा), सं. 214 (नया रारा सं. 165 पमारू से दिगामारू और नया रारा सं. 216 दिगामारू से काथीपुडी), सं. 214ए (नया रारा सं. 216 दिगामारू से ओंगोल), सं. 219 (नया रारा सं. 42 मदनापल्ली से तमिलनाडु सीमा), सं. 221 (नया रारा सं. 30 छत्तीसगढ़/ आ. प्र. सीमा से आ. प्र./तेलंगाना सीमा और तेलंगाना सीमा से विजयवाड़ा), सं. 234 (नया रारा सं. 75 कर्नाटक सीमा से तमिलनाडु सीमा), नया रारा सं. 71 [रेनूगुंटा से नायदुपेटा (नया रारा सं. 16)], नया रारा सं. 167 (कर्नाटक/आ. प्र. सीमा से आ. प्र./कर्नाटक सीमा), नई रारा सं. 326 (ओडिशा सीमा से चित्तूर), नई रारा सं. 326ए, {ओडिशा सीमा से नरसन्नापेट (नई रारा सं. 16 पर)}, नया रारा सं. 340 [रायचोटी (नया रारा सं.-40) से करबलाकोटा (नया रारा सं.-42)], नई रारा सं. 340सी (रारा सं. 765 पर कुरनूल से दोरनाला), नई रारा सं. 544डी (रारा 44 पर अनंतपुरामू वाया टोकापल्ली नई रारा 565 से गुंटूर रारा 16 पर), नया रारा सं. 565 [तेलंगाना सीमा से इरपेडू (नया रारा सं.-71)] और नया रारा सं. 765 [तेलंगाना सीमा से टोकापल्ले (नया रारा सं.-565)] के उतने भाग आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित हैं।	आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार”।
-----	--	-------------------------------

[फा. सं. एनएच-14013/9/2014-पीएंडएम]

वी कृष्णास्वामी, निदेशक

टिप्पणः मूल अधिसूचना को का.आ. 1096(अ), तारीख 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे अंतिम बार का.आ. 1037(अ), तारीख 17 अप्रैल, 2015 द्वारा संशोधित किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2015

S.O. 2530(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O.1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:—

In the said notification, in the Schedule, for serial number 1 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

TABLE

(1)	(2)	(3)
“1	So much of National Highways No. 4 (New NH No. 69 from Chittoor to Karnataka Border and New NH No. 40 from Chittoor to Tamil Nadu Border), No. 5 [from Km. 0.000 to Km. 3.400 (Vijaywada-Vishakhapatnam section)], No. 9 [from Km. 265.000 to Km. 266.400 (new NH No. 65 Km. 270.340 to Km. 271.740) (H-V section)], No.18 (New NH No. 40 from Cuddapah to Chittoor), No.18A (New NH No.140 from Puthalapattu to Tirupati excluding from Km. 41.70 to Km. 58.85), No. 43 (New NH No.26 from Orissa Border to Natavalsa), No. 63 (New NH No. 67 from Karnataka Border to Gooty), New NH-67 (from Gooty–Nellore-Krishnapatnam port), new NH No. 42 (from Karnataka/AP border to Ananthapuram), No. 205 (New NH No. 42 from Annantapur-Madanapalli and New NH No. 71 from Madanapalli-Renigunta), No. 214 (New NH No. 165 from Pamarru to Digamarru and New NH No. 216 from Digamarru to Kathipudi), No. 214A (New NH No. 216 from Digamarru to Ongole), No. 219 (New NH No. 42 from Madanapalli to Tamil Nadu Border), No. 221 (New NH No. 30 from Chattisgarh/AP border to AP/Telangana border and from Telangana border to Vijaywada), No. 234 (New NH No. 75 from Karanataka Border to Tamil Nadu Border), New NH No. 71 [from Renigunta to Nayudupeta (New NH-16)], New NH No.167 (from Karnataka/AP boder to AP/Karnataka border), new NH No. 326 (from Odisha border to Chinturu), new NH No. 326A {from Odisha border to Narasannapet (on new NH No. 16)}, New NH No.340 [from Rayachoti (New NH-40) to Kurabalakota (New NH-42)], new NH No. 340C (from Kurnool to Dornala on NH 765), new NH No. 544D (from Anantapuramu on NH 44 via Tokapalli on new NH 565 to Guntur on NH 16), New NH No. 565 [from Telangana Border to Erpedu (New NH-71)] and New NH No. 765 [from Telangana Border to Tokapalli (New NH-565)] as are situated within the State of Andhra Pradesh.	State Government of Andhra Pradesh.”

[F. No. NH-14013/9/2014-P&M]

V. KRISHNASWAMY, Director

Note: The principal notification was published vide number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S.O. 1037(E), dated the 17th April, 2015.